330

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–1)विभाग

कमांक: प.13(34)राज./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिंनाक : 9.8.2012

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
राजस्थान
2. समस्त जिला कलक्टर्स
राजस्थान

:– परिपत्र –:

राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं प्रमाण पत्रों की प्रकिया के सरलीकरण हेतु मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 1.8.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु राजस्व विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रकिया अमल में लाई जानी है :–

1. राजस्व अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, अपितु प्रार्थी/आवेदक स्वंय द्वारा अपनी आय का उदघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके समर्थन में आवेदक को प्रमाणित शपथ–पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।

2. दो उत्तरदायी व्यक्तियों में (संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/ जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी) होगें। उक्त उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

3. आवेदक/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय उदघोषणा पत्र का प्रारूप परिशिष्ट– 'आई' एवं शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट– 'जे' अनुसार होगा। (परिशिष्ट संलग्न हैं)

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उदघोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार)/नोटेरी पब्लिक द्वारा किया जायेगा। जिला कलक्टर द्वारा इस हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन किया जा सकेगा।

5. आयकर रिटर्न भरने की दशा में गत वर्ष के आयकर रिटर्न की पावती की

सत्य प्रतिलिपि एवं पैनकार्ड की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

6. बीपीएल कार्ड धारकों के लिये बीपीएल कार्ड को ही आय के लिये मान्य समझा जावेगा, उनसे पृथक से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त वर्णित प्रारूप/आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। सम्पूर्ण राज्य में उदघोषणा पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप एक समान होगा। परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मा0 मुख्य सचिव
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
9. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

शासन उप सचिव